263

संख्याः —— /I(2)/2012-05/53/2007

प्रेषक,

डा0 एस0 एस0 सन्धु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूजेवीएन लिमिटेड़,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2, देहरादूनः दिनांकः 18 फरवरी, 2012

विषयः– वित्तीय वर्ष 2012–13 में ऊर्जा विकास निधि हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में ऊर्जा विकास निधि समिति की दिनांक 19.12.2012 की बैठक में लिए गये निर्णय अनुकम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं हेतु निगम को मिलने वाला लाभ नियामक आयोग द्वारा स्वीकृत किये जाने एवं उससे मिलने वाला लाभ राज्य सरकार को लाभाश के रूप में राज्य सरकार को हस्तान्तरित किये जाने हेतु ऊर्जा विकास निधि शुल्क एवं राजस्व के रूप में प्राप्त किये जाने हेतु निम्न विवरणानुसार रू0 1194.00 लाख (रु0 ग्यारह करोड चौरानवें लाख मात्र) व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखते हुए आहरण की श्री राजयपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क0स0	योजना का नाम	धनराशि (लाख में)
1	सरयू नदी घाटी पर संचयी पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन।	79.78
2	पूर्वी रामंगा नदी घाटी पर संचयी पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन	63.48
3	उत्तराखण्ड में जल विद्युत क्षमता का पूर्ण मूल्यांकन	24.72
4	यमुना एवं टौस नदी घाटीयों पर पर संचयी पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन	253.30
5	अलकनन्दा भागीरथी एवं यमुना नदी घाटीयों पर मौजूदा जल विद्युत परियेाजनाओं का प्रभाव –ध्वनी , पानी एवं हवा की गुणवक्ता	42.14
6	अलकनन्दा एवं भागीरथी नदी घाटीयों पर पर संचयी पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन	333.22
7	गौरी गंगा एवं घौली गंगा नदी घाटीयों पर पर संचयी पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन(प्रस्तावित)	397.36
	कुल योग	1194.00

(i) स्वीकृत धनराशि उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि अधिनियम, 2003 में वर्णित उद्देश्यों के प्रयोजन हेतु आहरित कर उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि के पी0एल0ए0 खाते में जमा करायी जायेगी।

(ii) पी0एल0ए0 से धनराशि का आहरण निधि के प्रशासन हेतु गठित प्रशासन समिति की संस्तुति प्राप्त कर शासन में यथोचित स्तर पर पूर्व स्वीकृति उपरान्त कर चैक के माध्यम से अवमुक्त किया जायेगा।

(iii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत की जा रही है।

(iv) स्वीकृत की जा रही धनराशि को व्यय करते समय समस्त वित्तीय/प्रशासनिक नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(v) वित्त अधिकारी, इरला चैक अनुभाग द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का बिल बनाकर केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय में प्रस्तुत कर धनराशि का आहरण करते हुये कोषागार, देहरादून में खुले पी0एल0ए0 खाते में जमा किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–01–जल विद्युत उत्पादन –आयोजनागत–190–सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश–05–ऊर्जा विकास निधि में विनियोजन–00–30–निवेश/ऋण के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(डा0 एस0एस0 सन्धु)
प्रमुख सचिव।

पत्र संख्याः 182(1) /I(2)/2013-05/53/2007, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2– स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/सी0पी0 एण्ड ए0ओ0, सचिवालय, देहरादून।
4– सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5– बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6– वित्त अनुभाग–2
7– नियोजन विभाग/राज्य योजना आयोग।
8– ऊर्जा सैल।
9– प्रभारी, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– बीजक हेतु (दो प्रति)।
11– वित्त अधिकारी इरला चैक, अनुभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सजीव कुमार शर्मा)
उप सचिव।